जुड़िए हमसे... पर @risingindore.news 0731-4032200

राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 23 अक्टूबर 2024

वर्ष -11, अंक-42

मूल्य 2 रूपए, पेज- 8

Inside page 08

मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी चूक

मेट्रो ट्रेन का ग्यारंटी पीरियड होगा नष्ट

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर में सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहे मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी चूक उजागर होकर सामने आई है। सरकार के द्वारा मेट्रो ट्रेन की खरीदी के साथ ही उसकी मरम्मत का एक गारंटी पीरियड भी लिया गया है। अब यह सच्चाई सामने आई है कि जब ट्रेन चल ही नहीं पाएगी और खड़ी रहेगी तब ही यह गारंटी पीरियड समाप्त हो जाएगा।

जब ट्रेन चल ही नहीं पाएगी और खड़ी रहेगी तब ही निकल जाएगी ग्यारंटी की अवधि

सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के दोनों सबसे बड़े शहर भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट के कामकाज के व्यवस्थित संचालन के लिए अलग से मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बना दी गई है। इस कारपोरेशन के माध्यम से मेट्रो रेल का कार्य दोनों शहरों में चल रहा है। यह कार्य अपने निर्धारित समय सीमा की गति से बहुत ही ज्यादा विलंब के साथ चल रहा है। अभी तक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो रेल का कमर्शियल रन शुरू होने की स्थिति नहीं बन पाई है। अभी जो हालात हैं उससे ऐसा नहीं लगता है कि निकट भविष्य में भी जल्दी मेट्रो रेल में सफर की सुविधा नागरिकों को मिल सकेगी।

वैसे भी इंदौर में मेट्रो रेल का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया गया है वह ऐसा कॉरिडोर है जहां पर यात्री नहीं के बराबर ही मिलना है। ऐसे में इस कॉरिडोर पर मेट्रो रेल का कमर्शियल रन शुरू करने और नहीं करने से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अभी तो मेट्रो रेल की राह में बहुत सारी बढ़े हैं। मेट्रो रेल का कामकाज भी अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारा काम अधूरा और बिखरा हुआ पड़ा है।

इंदौर के लिए 25 मेट्रो ट्रेन का ऑर्डर हुआ है

इसी बीच अब इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में सरकार की ओर से की गई एक बड़ी लापरवाही उजागर होकर सामने आई है। इस समय इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है और उसके लिए कोचों और इंजन का काम भी चल रहा है। इंदौर के लिए 25 मेट्रो ट्रेन का आर्डर किया हुआ है। उसमें से 9 रेल गाड़ियां आ चुकी है, जिसमें एक इंजन के साथ तीन डब्बे है। अभी मेट्रो को बनने में इंदौर शहर में कम से कम 5 साल लगेंगे। मेट्रो रेल के लिए जो 25 गाड़ियां आ रही है, उसके 15 साल का रखरखाव भी उस कंपनी ने ले रखा है, जो की इसे सप्लाई कर रही है। इंदौर में रेल पहुंचने के बाद से गयारंटी का यह समय शुरू हो जाएगा।

ऐसे में इस बात पर विचार करना चाहिए कि समय दर समय, साल दर साल, कितनी गाड़ियां हमको ट्रैफिक के हिसाब से लगेगी ? यह 25 गाड़ियां कब से हमको लगने लगेगी। यदि सब समय पर चला तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह 25 गाड़ियां अगले 10 साल भी इंदौर को नहीं लगेगी। इसके पीछे कारण यह है कि 5 साल तो मेट्रो का पहला फेस पूरा ही नहीं होगा। उसके बाद यात्रियों की संख्या के हिसाब से मेट्रो की आवश्यकता रहेगी। इस बारे में कोई ना कोई अध्ययन किया गया है और ना ही उस हिसाब से फैसला लिया गया है। यदि अध्ययन के हिसाब से कोई निर्णय लिया जाता है, तो मेंटेनेंस पीरियड का पैसा और प्रारंभिक लागत हमारी बहुत बचत हो सकती है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

अंडरग्राउंड और एलिवेटेड का नहीं हुआ फैसला

मेट्रो रेल को बंगाली चौराहा से इंदौर शहर में लाने और शहर के मध्य क्षेत्र से होते हुए एरोड्रम रोड की तरफ ले जाने के बारे में फैसला सरकार के स्तर पर अटका हुआ है। पूर्व में जो प्लानिंग की गई थी उसके अनुसार इस क्षेत्र में मेट्रो रेल को दो तरह से चलाया जाना था। बंगाली चौराहा से हाई कोर्ट के भवन तक मेट्रो रेल को सामान्य रूप से चलते हुए लाया जाना था और हाई कोर्ट से लेकर बड़ा गणपति तक मेट्रो रेल को अंडरग्राउंड चलाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के बने इसके मंजूर होने और इसका काम सौंप दिए जाने के बाद अब सरकार के द्वारा इस प्लानिंग को फिर से पुनर्विचार में ले लिया गया है। सरकार के इस फैसले का परिणाम यह है कि पूर्व के फैसले के तहत जो काम टेंडर के द्वारा सोफे जा चुके हैं उन सभी काम का टेंडर निरस्त करना होगा। इसके साथ ही टेंडर लेने वाली फॉर्म को हरजाने के रूप में करोड़ों रुपए की राशि भी चुकाना पड़ेगी। इसके साथ ही बंगाली चौराहा से लेकर बड़ा गणपति तक अब मेट्रो रेल को किस तरह से चलना है इसको लेकर कोई योजना अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है और जो योजना बनी है वह सरकार के पास विचार के लिए लंबित पड़ी है। इस पूरी स्थिति में मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट की स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई है।

राइजिंग इन्दौर अब MAGZTER .com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

अब आईएसबीटी को पूरा करने का लक्ष्य

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा अब ग्राम कुमेडी में बनाए जा रहे इंटर स्टेट बस टर्मिनल को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम को 15 दिसंबर तक पूरा करने के लिए अधिकारी मैदान में उतर गए हैं।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

प्राधिकरण के द्वारा दो फ्लाईओवर ब्रिज का काम पूरा कर इसका लोकार्पण कर लेने के बाद अब पूरा ध्यान कुमेडी के बस स्टैंड पर

15 दिसंबर के पहले काम पूरा करने के लिए मैदान में उतरे अधिकारी

लगा दिया गया है। प्राधिकरण की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार ने मंगलवार को प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस बस स्टैंड के काम को हमें 15 दिसंबर तक पूरा करना है। इस काम पूर्णता की अवधि को ध्यान में रखते हुए बच्चे हुए काम को करने के लिए योजना बनाई जाना चाहिए।

प्राधिकरण के अधिकारियों और काम करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ अब बचे हुए काम को किस तरह से जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए इस बारे में योजना तैयार की गई है। अब कोशिश यह की जा रही है कि हर दिन में दो या तीन ट्रिप में काम चलाया जाए ताकि काम तेज गति से आकर ले सके। इस काम को करने के लिए अब प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा बार-बार दौरे करने और हर दिन के कामकाज का शेड्यूल बनाने का काम भी किया जाएगा।

इंदौर का है सबसे बड़ा बस स्टैंड

जो बस स्टैंड प्राधिकरण के द्वारा बनवाया जा रहा है वह इंदौर का सबसे बड़ा बस स्टैंड होगा। इस बस स्टैंड से बन जाने के बाद सभी प्रमुख बस का संचालन इसी बस स्टैंड से शुरू कर दिया जाएगा। इसके पूर्व प्राधिकरण के द्वारा ग्राम नायता मुंडला में बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। यह बस स्टैंड शुरू भी हो गया है। यहां से बसों का संचालन किया जा रहा है। अभी इस बस स्टैंड की एप्रोच रोड का काम नगर निगम नहीं कर सका है इसलिए इस बस स्टैंड का बहुत ज्यादा और बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा है।

चाय पत्ती व्यापारियों के बाजार की 30 इमारतों को नोटिस

इमारत के बेसमेंट में कर रहे है व्यापारिक गतिविधि का संचालन

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

नगर निगम ने शहर में बेसमेंट में चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने सभी 22 जोन में बेसमेंट को सील करने और पार्किंग स्थलों को खाली करवाने का अभियान तेज कर दिया है। अब तक 150 से अधिक इमारतों पर कार्रवाई की जा चुकी है और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए व्यस्त क्षेत्रों जैसे जेल रोड पर भी जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसी क्रम में योजना क्र. 54, पीयू-4 में 30 इमारतों को नोटिस दिए गए थे, जिनमें से 9 भवन मालिकों ने स्वयं अपने अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

पिछले हफ्ते निगम ने जाहिर सूचना के माध्यम से शहर की सभी इमारतों को 10 दिन का समय दिया था ताकि वे अपने-अपने पार्किंग स्थल को खाली करवा लें। यह समय सीमा इस हफ्ते समाप्त हो रही है, जिसके बाद निगम द्वारा सभी जोनों में एक साथ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत उन इमारतों को सील किया जाएगा जिनके बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जबकि उन्हें पार्किंग के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, फायर फाइटिंग सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले कई अस्पतालों, होस्टलों और इमारतों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। फायर सेफ्टी की कमी गंभीर चिंता का विषय है, और निगम इस संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संपत्ति कर के लिए भी एक्शन लेगा निगम

एबी रोड स्थित शॉपिंग मॉल के पीछे पीयू-4 योजना के अंतर्गत चाय और किराना व्यापारियों को भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन अब वहां अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। प्राधिकरण ने कई बार सर्वे किया है, लेकिन अभी तक लीज निरस्त करने जैसी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ, नगर निगम ने इस क्षेत्र में सार्वजनिक पार्किंग पर अवैध अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को नोटिस थमाए हैं। 30 व्यापारियों को नोटिस दिए गए, जिनमें से 9 ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। निगम का राजस्व अमला भी टैक्स वसूली में सक्रिय है। वार्ड 36 के अंतर्गत आने वाली एक टाउनशिप में लाखों रुपये का संपत्ति कर बकाया होने के कारण 85 प्लॉटों पर कार्रवाई की गई है। यदि संपत्ति कर समय पर जमा नहीं किया गया तो कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

बड़े प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया गया

हाईकोर्ट में हाल ही में एक सुनवाई के दौरान निगम यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि शहर में कितनी ऐसी इमारतें हैं जिनमें अधिभोग प्रमाण पत्र के बिना व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। इसी कारण निगम को 10 दिन की मोहलत के साथ जाहिर सूचना जारी करनी पड़ी, जो इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। इसके बाद निगम बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि, कार्रवाई के दौरान यह भी देखा गया कि कई बड़े प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल और होटलों को छोड़ दिया गया, जबकि कई नए निर्माण पूरी तरह से आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक रूप से किए जा रहे हैं, जहां पार्किंग की कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। यह समस्या आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है, और निगम को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

केबल कार के लिए आईडीए ने सर्वे रिपोर्ट पर तैयार किया ब्लूप्रिंट...

अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम घूमेंगे आसमान में

केबल कार प्रोजेक्ट की प्रारम्भिक तैयारियां

संपूर्ण रूट
60 KM
कुल स्टेशन
41

रूट नंबर 4 सबसे बड़ा

7 रुट लाइन -
ग्रीन , ब्ल्यू, ऑरेंज , परपल, ग्रे और येलो

रुट बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे

राइजिंग इन्दौर
■ विपीन नीमा

इंदौर। बड़े और महंगे शहरों की सड़कों पर पहले से कही ज्यादा भीड़भाड़ है। इसलिए अब जमीन की बजाय कुछ ऊंचाई पर यातायात के साधन बनाए जाने की तैयारी हो रही है। ताकि ट्रैफिक जाम भी घटे और यात्री समय से अपनी मंजिल तक पहुंचें। बात हो रही है केबल कार की, जो जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर तारों पर चलती है। ट्रैफिक के लिहाज से देश के किसी भी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं चल रही है, जबकि कई धार्मिक स्थलों पर रोप वे के नाम से केबल कारों का संचालन हो रहा है। इंदौर के अस्त व्यस्त ट्रैफिक तथा जाम से मुक्ति दिलाने के लिए केबल कार चलाने प्लान तैयार किया जा रहा है। शहर में केबल कार के लिए आईडीए ने कंसलटेंट की नियुक्ति करते हुए केबल कार का ब्लूय प्रिंट तैयार कर लिया है। केबल कार के लिए किए गए सर्वे रिपोर्ट से पता चला है की इंदौर में कुल 60 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बनेगा। इसके लिए 7 रूट प्रस्तावित हैं। इनमें 41 स्टेशन और 10 टर्मिनल होंगे। केबल कार विशेषज्ञों, कंसलटेंट तथा इंजीनियरों ने इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए काम शुरु कर दिया है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक और नया मिल सकता हे विकल्प

मप्र में इंदौर एक ऐसा शहर है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सफलता के साथ काम कर रहा है। शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए शहर के लोगों के लिए सरकारी व निजी कई तरह के लोक परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इसी साल के अंत तक शहरवासियों को मेट्रो रेल की भी सुविधा उपलब्ध होने वाली है। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी शहर की सड़कें वाहनों से पटी रहती है। सभी प्रमुख चौराहों पर वाहनों की लम्बी कतार लगी रहती है। इस व्यवस्था से निपटने के लिए इंदौर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो शहर वासियों को आसमान पर घूमने का मौका मिलेगा। यानी तारों पर दौड़ने वाली केबल कारों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे।

प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट केबल कार का एरिया 60 किमी का होगा

राज्य सरकार ने इंदौर में केबल कार चलाने की जिम्मेदारी आईडीए को सौंपी है। आईडीए ने इस प्रोजेक्ट पर काफी कुछ तैयारियां भी कर ली है। प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए वेपकास कंपनी को कंसलटेंट नियुक्त किया है। केबल कार के लिए किए गए सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट का ब्ल्यू प्रिंट तैयार कर लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इंदौर में केबल कार का कुल एरिया लगभग 60 किलोमीटर का होगा और इसमें 41 स्टेशन रहेंगे। विभिन्न कलर की कुल सात रुट लाइन रहेगी। आीडीए के अधिकारियों ने बताया की प्रोजेक्ट की यह प्रारम्भिक स्टेज है। इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। सब कुछ तय हो जाएगा उसके बाद फाइनल सर्वे होगा। प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसमें विशेषज्ञ, कंसलटेंट , विभागीय इंजीनियर सभी मिलकर काम कर रहे है।

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार

ग्रीन लाइन - 1 और येलो लाइन - 7
इंदौर के सीबीडी विस्तार को जोड़ने वाली प्रमुख ईस्ट वेस्ट ट्रंक को जोड़ती हैं। यह भी पाया गया है कि इस खंड पर पीक ऑवर्स में यातायात की मात्रा क्षमता से अधिक होती है।

ब्लू लाइन - 2 और ऑरेंज लाइन - 3
को सुपर कॉरिडोर और एमजी रोड पर प्रस्तावित मेट्रो नेटवर्क के लिए फीडर सेवा के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव है।

इंदौर का दक्षिणी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और भविष्य के विकास के लिए इसमें कई खाली जगहें हैं। इसलिए, बेहतर गतिशीलता और पहुंच के लिए हवाई मार्ग के माध्यम से दक्षिणी क्षेत्र को सीबीडी और उससे आगे जोड़ने के लिए रेड लाइन 5 और ग्रे लाइन 6 की कल्पना की गई है।

ऐसी होगी 60 किलोमीटर लम्बी कनेक्टिविटी

रूट नंबर - 1

» ग्रीन लाइन
» कुल लंबाई - 6.25 किमी
» कुल स्टेशन - 6
» चंदन नगर चौराहा, लाबरिया भेरू, मालगंज चौराहा, यशवंत रोड गुरुद्वारा, जवाहर मार्ग, सरवटे बस स्टैंड, शिवाजी वाटिका तक जाएगी।

रूट नंबर - 2

» ब्लू लाइन
» कुल लंबाई 7.25 किमी
» कुल स्टेशन - 6
» मेट्रो स्टेशन सुपर कॉरिडोर 3 से टिगरिया बादशाह, स्कीम 151, मरीमाता चौराहा, राजबाड़ा , यशवंत रोड गुरुद्वारा तक जाएगी।

रूट नंबर - 3

» ऑरेंज लाइन
» कुल लंबाई 9 किमी
» कुल स्टेशन - 8
» निरंजनपुर चौराहा , ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, बापट चौराहा. चंद्रगुप्त चौराहा, कनकेश्वरी माता, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, मरीमाता चौराहा, किला मैदान तथा रामचंद्र नगर तक जाएगी।

रूट नंबर - 4

» परपल लाइन
» कुल लंबाई 17.3 किमी
» कुल स्टेशन - 14 निरंजनपुर चौराहा , देवास नाका, सत्यसाई चौराहा, विजय नगर, एलआईजी, पलासिया, शिवाजी वाटिका, इंदिरा गांधी चौराहा, टॉवर चौराहा, आईटी पार्क, तीन इमली रिंग रोड, बाबुल नगर, प्रभु टोल नाका होते हुए नेमावर रोड बायपास तक जाएगी।

रूट नंबर - 5

» रेड लाइन » कुल लंबाई 8.02 किमी
» कुल स्टेशन - 8
» महिला पॉलिटेक्निक राजेंद्र नगर, चाणक्यपुरी, दशहरा मैदान, महू नाका, कलेक्टोरेट, वीर सावरकर मार्केट, लुनियापुरा, सरवटे बस स्टैंड होते हुए रेलवे स्टेशन तक जाएगी।

रूट नंबर - 6

» ग्रे लाइन » कुल लंबाई 6.83 किमी
» कुल स्टेशन -5
रेलवे स्टेशन, मालवा मिल, पाटनीपुरा चौराहा, बापट चौराहा, खालसा चौक।

रुट नंबर - 7

» यलो लाइन » कुल लंबाई 5.52 किमी
» कुल स्टेशन - 5
» रामचंद्र नगर, बड़ा गणपति, राजबाड़ा चौक, रेलवे स्टेश, पलासिया चौराहा तक जाएगी।

संपादकीय...

दीपावली का इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक 171 में शामिल की गई जमीन को मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। इस योजना में शामिल की गई जमीन पिछले कई सालों से उलझी हुई थी। प्राधिकरण इस योजना को आकर भी नहीं दे पा रहा था और जमीनें मुक्त भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब राज्य शासन की अनुमति

■ गौरव गुप्ता

के बाद इस योजना को समाप्त करने का फैसला उन लोगों के लिए सबसे बड़ा दीपावली का गिफ्ट है जो कि इस जमीन में अपने भविष्य को संजोए हुए हैं। प्राधिकरण के द्वारा लिए गए इस फैसले से हजारों नागरिकों के सपने पर छाया हुआ धुंधलका दूर हो जाएगा। प्राधिकरण का यह फैसला मिल का पत्थर साबित होगा। इस तरह की और भी जो योजनाएं हैं उन्हें भी समाप्त करते हुए, उनमें शामिल की गई जमीन को भी मुक्त करने की पहल की जाना चाहिए।

मधुमेह प्रबंधन के लिए सोने से पहले करें ये 6 काम और रात में ब्लड शुगर बढ़ने से बचें

डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि,अचानक रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि से बचने के लिए मधुमेह का प्रबंधन आवश्यक है। यहां ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए चरण-दर-चरण दिनचर्या बताई गई है। मधुमेह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में न केवल पूरे दिन रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करना शामिल है, बल्कि सोने से पहले स्वस्थ आदतें अपनाना भी शामिल है। रात का समय रक्त शर्करा नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि इस समय के दौरान उतार-चढ़ाव समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

डायबिटीज के मरीज रात के खाने निम्न चीज खा सकते हैं

1. जौ की रोटी

रात को गेहूं के आटे की जगह जौ के आटे की रोटी खाना बेहद फायदेमंद होता है। जौ की रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। जौ की रोटी को पचाना भी बेहद आसान होता है। इसलिए आपको अपने डिनर में जौ की रोटी को शामिल करना चाहिए।

2. ज्वार की रोटी

ज्वार की रोटी खाने से पाचन शक्ति मजबूत बनती है। इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज रोगियों को लाभ मिलता है। आप डिनर में ज्वार की रोटी, दाल और सब्जी का सेवन कर सकते हैं।

3. जौ का दलिया

रात में आप जौ का दलिया भी खा सकते हैं। जौ का दलिया सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। जौ के दलिया में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही, इससे पाचन-तंत्र भी मजबूत बनता है। आप रोज डिनर में जौ का दलिया खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी भर जाएगा और पोषण भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है।

4. दाल और सब्जी

डायबिटीज रोगी दाल और सब्जी को अपने डिनर में जरूर शामिल करें। इससे आपको प्रोटीन और फाइबर मिलेगा। साथ ही, शरीर को कई अन्य पोषक तत्व भी मिलेंगे। दाल और सब्जी खाने से आपको एनर्जी भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी।

5. बेसन का चीला

अगर आपको डायबिटीज है तो आप बेसन का चीला अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें आप धनिया, प्याज और टमाटर भी काटकर मिला सकते हैं। रोजाना बेसन का चीला खाने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं।

6. मूंग दाल का चीला

मूंग दाल का चीला सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगर आप डायबिटीज रोगी हैं, तो मूंग दाल का चीला अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मूंग दाल का चीला डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी होता है। इससे पूरा प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। अगर आपको भी डायबिटीज है, तो अपनी डाइट में रिफाइंड शुगर, डीप फ्राइड फूड्स बिल्कुल शामिल न करें। इसके अलावा, रात को दूध और अन्य प्रोडक्ट्स का सेवन करने से भी बचें।

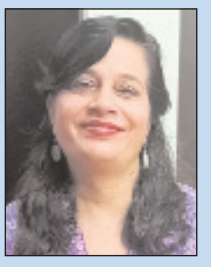

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

शाम का सही नाश्ता चुनें:

अगर आपको सोने से पहले भूख लगती है, तो ऐसे स्वस्थ नाश्ते का चुनाव करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन या फाइबर ज्यादा हो। अच्छे विकल्पों में मुट्ठी भर नट्स, ग्रीक योगर्ट या गाजर की छड़ें और हम्मस शामिल हैं। ये नाश्ते बिना किसी महत्वपूर्ण उछाल के रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। मीठे नाश्ते या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें, क्योंकि ये रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं।

एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करें: एक सुसंगत नींद कार्यक्रम समग्र स्वास्थ्य और रक्त शर्करा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने का लक्ष्य रखें, यहां तक कि सप्ताहांत पर भी। अच्छी नींद भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करती है। नींद की कमी से इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है, जिससे मधुमेह को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अपने शरीर को संकेत देने के लिए एक शांत सोने की दिनचर्या बनाएं कि यह आराम करने का समय है, जैसे पढ़ना या विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना।

सोने से पहले स्क्रीन का समय सीमित करें: स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर की स्क्रीन के संपर्क में आने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन उत्पादन को बाधित कर सकती है, जिससे नींद आना मुश्किल हो जाता है। सोने से कम से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद करने का लक्ष्य रखें। इसके बजाय, अपने शरीर को आरामदायक नींद के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए किताब पढ़ने या ध्यान लगाने जैसी शांत करने वाली गतिविधियां करें।

एक गिलास पानी: हालांकि हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन सोने से पहले के एक घंटे में तरल पदार्थ का सेवन सीमित करने का प्रयास करें। बहुत अधिक पानी पीने से रात में बाथरूम जाने की समस्या हो सकती है, जिससे आपकी नींद बाधित हो सकती है। हालांकि, पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड रहना समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है और रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है।

रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करें: बिस्तर पर जाने से पहले, अपने रक्त शर्करा के स्तर की जांच करना ज़रूरी है। यह अभ्यास आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका शरीर भोजन, दवा और दैनिक गतिविधियों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। यदि आपका स्तर वांछित से अधिक है, तो आप उचित कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि अपने शाम के भोजन या इंसुलिन की खुराक को समायोजित करना। आदर्श रूप से, अपने लक्ष्य सीमा के भीतर सोते समय रक्त शर्करा के स्तर का लक्ष्य रखें, क्योंकि यह रात भर स्थिर स्तरों के लिए मंच तैयार करता है।

सोने से पहले इन पांच रणनीतियों को लागू करने से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और रात के समय होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने में काफी मदद मिल सकती है। अपने रक्त शर्करा की निगरानी से लेकर एक सुसंगत नींद की दिनचर्या स्थापित करने तक, ये आदतें बेहतर मधुमेह प्रबंधन में योगदान दे सकती हैं। अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत सलाह और अनुशंसाओं के लिए हमेशा किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें। इन छोटे-छोटे समायोजनों को करके, आप मधुमेह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए अपने समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार कर सकते हैं।

परिवार के विवाद का निराकरण होता है परिवार न्यायालय में

फैमिली कोर्ट से संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है इसे जानना हर व्यक्ति को वर्तमान में आवश्यकता हो गया है

अलग अलग तरह की अदालतों की तरह ही एक कोर्ट फैमिली कोर्ट है, जो फैमिली से संबंधित मामलों को सुनती है और जनता के बीच न्याय करती है। फैमिली कोर्ट टाऊन एरिया में नहीं होती है, यह नगर के क्षेत्रों में होती है। इस कोर्ट को बनाने का उद्देश्य फैमिली से संबंधित मामलों का शीघ्र न्याय करना होता है। घर परिवारों में होने वाले विवादों में प्रमुख रूप से पति और पत्नी के बीच होने वाले विवाद होते हैं।

इन विवादों के मामले में फैमिली कोर्ट एक्ट आने के पहले सिविल न्यायालय को अधिकारिता होती थी लेकिन वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा संसद में फैमिली कोर्ट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से पारिवारिक विवाद निपटाने के लिए एक अलग से न्यायालय बनाया गया। सिविल न्यायालय में प्रकरण बहुत सारे होते हैं, इतने सारे प्रकरण होने के कारण किसी भी प्रकरण में जल्दी न्याय नहीं मिल पाता है। परिवार के विवाद भी सिविल न्यायालय में सालों साल अटके रहते थे और पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पाता था। इस परेशानी से निपटने के उद्देश्य से ही सरकार द्वारा फैमिली कोर्ट एक्ट,1984 लाया गया।

फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 समस्त भारत में जिला स्तर पर एक फैमिली कोर्ट के गठन का कार्य करता है। हालांकि ऐसा फैमिली कोर्ट भारत के सभी शहरों में नहीं है लेकिन लगभग लगभग एक बड़ी आबादी वाले शहरों में इसे स्थापित कर दिया गया है। किसी भी बड़ी आबादी के शहर में एक फैमिली कोर्ट की स्थापना होती है। यह उस शहर के लोगों के पारिवारिक विवाद को निपटाने के कार्य करते हैं। फैमिली कोर्ट के पीठासीन अधिकारी वहां के न्यायाधीश जिला न्यायाधीश की सभी शक्तियां रखते हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी को समझौता करवाने का अनुभव होना चाहिए और उन्हें समाज के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इस अधिनियम का मूल लक्ष्य है कि परिवार में उत्पन्न होने वाले विवादों को समझौते के माध्यम से निपटा दिया जाए और पक्षकारों को आपस में समझा दिया जाए। इसी के साथ पक्षकारों को शीघ्र से शीघ्र न्याय दे दिया जाए और उन्हें अधिक से अधिक समय तक न्यायालय के चक्कर नहीं लगाना पड़े।

फैमिली कोर्ट परिवार से संबंधित मामले सुनते हैं। इन परिवार से संबंधित मामलों में निम्न मामले सुने जाते हैं-

1. तलाक से संबंधित मामले
2. ज्यूडिशल सिपरेशन से संबंधित मामले
3. दांपत्य जीवन की पुनर्स्थापना से संबंधित मामले
4. भरण पोषण से संबंधित मामले
5. बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामले
6. पति पत्नी के बीच होने वाले संपत्ति के विवाद से संबंधित मामले

फैमिली कोर्ट द्वारा इन मामलों को ही सुना जाता है और फैमिली कोर्ट में इन मामलों की ही अधिकता होती है। यह सभी मामले उन शहरों में जहां आबादी दस लाख से अधिक है, फैमिली कोर्ट द्वारा सुने जाते हैं। जिन शहरों में फैमिली कोर्ट की स्थापना नहीं की गई है, उन शहरों में इन मामलों को सिविल न्यायालय द्वारा सुना जाता है। जब सिविल न्यायालय इन मामलों पर सुनवाई करते हैं, तब उन की प्रक्रिया अलग होती है और फैमिली कोर्ट में सुनवाई होते समय प्रक्रिया अलग होती है।

सिविल मामलों की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, जिससे न्याय जल्दी नहीं मिल पाता है, जबकि फैमिली कोर्ट में किसी भी प्रकरण को दर्ज करने के बाद उस पर होने वाली सुनवाई से संबंधित प्रक्रिया बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और पक्षकारों को त्वरित निर्णय मिल जाते हैं।

फैमिली कोर्ट में किसी भी प्रकार की पैरवी करने के लिए एक अधिकार के रूप में वकील को पेश नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपराधिक मामलों में एक एडवोकेट को पैरवी करने हेतु पेश करना अभियुक्त का अधिकार होता है, साथ ही पीड़ित का पक्ष अभियोजन अधिकारी द्वारा रखा जाता है।

सिविल मामलों में भी अधिकारपूर्वक एडवोकेट को नियुक्त किया जाता है जबकि फैमिली कोर्ट में एडवोकेट को एक अधिकार के रूप में पेश नहीं किया जाता है, पर अगर न्यायालय यह चाहता है कि कोई पक्षकार एक एमिक्स क्यूरी के रुप में वकील को नियुक्त करता है, तब ऐसे वकील के संबंध में न्यायालय आज्ञा दे देता है। आमतौर पर तो यह देखा जाता है कि आजकल फैमिली कोर्ट में भी वकील लोग पैरवी कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि इतनी सरल प्रक्रिया भी पक्षकार समझ नहीं पाते हैं तथा उन्हें वकील की सहायता लेनी ही पड़ती है। वादी और प्रतिवादी दोनों ही अपनी ओर से एडवोकेट को खड़ा करते हैं।

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू नहीं होना

फैमिली कोर्ट की कार्यवाही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूर्ण रुप से लागू नहीं होता है। जैसे कि एक सिविल कोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों की बहुत गहनता से पालन किया जाता है और कोई भी ऐसा दस्तावेज न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, जिसे स्वीकार नहीं करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्यवस्था दी गई है।

जबकि फैमिली कोर्ट में न्यायाधीश किसी भी सबूत को देख सकता है और किसी भी सबूत के आधार पर अपना निर्णय सुना सकता है। फैमिली कोर्ट अधिनियम के अंतर्गत इस प्रक्रिया को देने का कारण यह है कि न्यायाधीश को भी सरलता रहे तथा वह अपने स्तर पर अपने तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मामले में निर्णय सुना सके।

फैमिली कोर्ट में पक्षकारों के बयानों को और मामले से संबंधित अन्य गवाहों के बयानों को वैसा का वैसा ही नहीं लिखा जाता है, बल्कि एक औपचारिक रूप से बयान दर्ज कर लिए जाते हैं और बयान की जो मूल बातें हैं केवल उन्हें दर्ज कर लिया जाता है, बाकी सभी बातों को सारहीन माना जाता है।

इस प्रक्रिया का भी उद्देश्य यह है कि न्यायधीश किसी भी गवाह के बयान पर मोटे तौर पर कोई एक मत बना ले, जबकि सिविल न्यायालय में और आपराधिक न्यायालय में गवाहों के बयानों को वैसा का वैसा ही लिखा जाता है जैसे बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं।

नाममात्र की कोर्ट फीस

फैमिली कोर्ट में किसी भी प्रकरण को दर्ज करने हेतु नाम मात्र की कोर्ट फीस देना होती है। सिविल न्यायालय में किसी भी प्रकरण को दर्ज करने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि कोर्ट फीस के रूप में पक्षकारों को अदा करना होती है। लेकिन फैमिली कोर्ट में कोई बहुत अधिक राशि कोर्ट फीस के लिए नहीं ली जाती है। ऐसा माना जाता है कि जनता के आपस के मामले निशुल्क और जल्दी समय निपटाए जाएं इसलिए ही राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी सभी जिलों में फैमिली कोर्ट की स्थापना करने का कहा गया है।

फैमिली कोर्ट की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य समझौता करवाना भी है। परिवार भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त परिवार जैसी अवधारणा भारत में सदियों पुरानी रही है। परिवार को एक पवित्र संस्था के रूप में माना गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई है।

ऐसा माना जाता है कि एक परिवार में सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी की वैचारिकता अलग है, तब उन सभी के बीच किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई विवाद उत्पन्न होना स्वभाविक है। पति और पत्नी के बीच होने वाले विवाद भी एक स्वभाविक विवाद है। लंबे समय तक साथ रहते हुए दो लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हो ही जाते हैं।

फैमिली कोर्ट का यह पहला उद्देश्य होता है कि वह पक्षकारों के मध्य समझौता करवाएं और परिवारों को टूटने नहीं दे। जब भी कोई तलाक से संबंधित मामला प्रस्तुत किया जाता है तब सबसे पहले न्यायालय द्वारा पक्षकारों में समझौता करवाने के प्रयास किए जाते हैं। न्यायाधीश द्वारा यह देखा जाता है कि क्या पक्षकारों का आपस में समझौता हो सकता है, क्या गृहस्थी को पुनः बसाया जा सकता है।

अगर न्यायधीश यह पता है कि अब पक्षकारों में किसी भी प्रकार का समझौता होने की कोई भी संभावना शेष नहीं है तब न्यायधीश आगे तलाक हेतु कार्यवाही को प्रारंभ करता है। ऐसा समझौता सभी प्रकार के प्रकरणों में करवाए जाने का प्रयास किया जाता है।

एक फैमिली कोर्ट एक दंड न्यायालय की भांति दंड देने के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट के भांति कोई भी डिक्री पारित करने के उद्देश्य से कार्य नहीं करता है अपितु फैमिली कोर्ट का कायज़ एक पवित्र कार्य होता है, जो पक्षकारों के मध्य समझौता करवाने के लिए अग्रसर होता है।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण और विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूकता के कारण अब तलाक की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। महिलाओं के सशक्तीकरण ने शहरी क्षेत्रों में विवाह विच्छेद की शुरुआत की है क्योंकि आर्थिक रूप से शिक्षित महिलाएं अब जीवन भर चुपचाप दुर्व्यवहार सहने के बजाय संबंध समाप्त करने के विकल्प के लिए खुली हैं। लैंगिक समानता पर अभियान अब पति-पत्नी के बीच अहंकार के टकराव को जन्म दे रहे हैं, खासकर अगर पत्नी भी परिवार की कमाने वाली हो।

एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले चार वर्षों में भारत की राजधानी दिल्ली में तलाक की दर लगभग दोगुनी हो गई है पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि आधारित राज्यों में पिछले दशक की तुलना में तलाक की दर में 150प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है। केरल, जिसे सबसे अधिक साक्षर राज्य माना जाता है, में पिछले 10 वर्षों में तलाक की दर में 350 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

करीब 20 साल पहले भारत में तलाक की दर नगण्य यानी करीब 5त्न थी। लेकिन आज तलाक के लिए दायर किए जाने वाले मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, आने वाले सालों में भारत में तलाक की दर और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

वर्तमान में पारिवारिक विवादों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है इस कारण फैमिली कोर्ट में भी प्रकरणों का अंबार लग गया है फैमिली कोर्ट में समानता तलाक के प्रकरणों की अधिकता है और भरण पोषण के प्रकरण भी अत्यधिक संख्या मैं है फैमिली कोर्ट में पत्नी तो भरण पोषण के लिए आवेदन कर ही सकती है लेकिन माता-पिता भी अपने पुत्रों एवं पुत्री से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रत्याशी के नाम की घोषणा के पहले ही बन गया प्रचार रथ

चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश के बुधनी सहित दो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है। इस के परिपेक्ष में अभी भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी नहीं की है फिर भी बुधनी में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में प्रचार के लिए प्रचार का रथ तैयार हो गया है। वहां के भाजपा नेता रमाकांत भार्गव ने जनता से वोट के लिए गुहार लगाना शुरू कर दिया है।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में शुरू कर दिया प्रचार

मध्य प्रदेश में जो दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव होना है उससे प्रदेश की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। भाजपा को प्रदेश की सरकार में सुविधाजनक और प्रचंड बहुमत हासिल है। ऐसे में यह उपचुनाव सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर जनता की मंशा को अभिव्यक्त करेंगे। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सत्ता में बैठा हुआ दल होने के नाते भाजपा की ओर से इन दोनों सीटों पर चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। भाजपा के राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा पिछले दिनों आयोजित की गई बैठक में इन सीटों से संभावित प्रत्याशियों के नाम पर विचार भी किया गया।

अभी भाजपा की ओर से प्रत्याशी के रूप में किसी का नाम घोषित नहीं किया गया है। इसके बावजूद बुधनी विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रमाकांत भार्गव के द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। वहां पर भार्गव के प्रचार का चुनावी रथ भी बनकर तैयार होना शुरू हो गया है। इस चुनावी रखकर बनने के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही यह सवाल भी उठने लगा है कि पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के रूप में नाम की घोषणा नहीं किए जाने के बावजूद कोई नेता अपने आप को प्रत्याशी बताते हुए इस तरह प्रचार की तैयारी कैसे कर सकता है।

ध्यान रहे की बुधनी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से उन्होंने ही जीत दर्ज की थी। इसके बाद पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिए जाने और चुनाव में जीत दर्ज करने के कारण उन्हें इस विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा है। उनके इस्तीफा देने के कारण ही यह सीट रिक्त हुई है।

विदेश में रहने वाले व्यक्ति की वीडियो कॉल से गवाही

व्हाट्सएप से भी वैध, कहीं से भी हो सकते हैं पेश

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति की गवाही केवल भारतीय दूतावास से ही वैध नहीं है, वह वीडियो कॉल से कहीं से भी पेश हो सकता है। हालांकि ऐसा करते हुए भी किसी तरह का डर या दबाव गवाह पर नहीं है, यह सुनिश्चित करना जरूरी है।

नवांशहर निवासी कुलवीर राम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उसके खिलाफ गवाह को दूतावास के बजाय सामान्य वीडियो कॉल के माध्यम से गवाही की छूट देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। याची अतिक्रमण और हमले के मामले में आरोपी था।

ट्रायल कोर्ट ने गवाह को मॉडल नियमों के अनुसार दूतावास जाकर वीसी के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया था। बाद में शिकायतकर्ता ने आवेदन दायर कर गवाह दूतावास के माध्यम से बयान दर्ज करवाने में कठिनाई बताते हुए अदालत से व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बयान दर्ज करवाने की अनुमति मांगी थी और ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दे दी थी।

याची के वकील ने तर्क दिया कि यदि गवाह व्हाट्सएप या किसी अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होता है तो कोई उनका प्रतिरूपण कर सकता है और उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक गवाह को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रायल कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के अनुसार यदि कोई गवाह विदेश में रह रहा है, तो उसे अपना बयान दर्ज कराने के लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से उपस्थित होना आवश्यक होता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी गवाह की गवाही का एकमात्र उद्देश्य न्याय के लिए मदद करना होता है और बदले में यह अत्यधिक अनुचित होगा यदि कोर्ट ऐसे गवाहों को अनावश्यक कठिनाइयों डालता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के समय कैमरा कमरे के अधिकांश क्षेत्र को कवर करना चाहिए और यह इस तरह से होना चाहिए कि गवाहों को किसी भी तरह से प्रशिक्षित न किया जा सके। साथ ही उसे किसी भी तरह का डर या दबाव न दिया जाए यह सुनिश्चित होना चाहिए। गवाहों की पहचान उसी व्हाट्सएप नंबर पर उनकी पहचान की जांच करके की जाए।

इस सप्ताह आपके सितारे
23 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024

किसी का कारोबार उत्तम रहेगा किसी को मिलेगा मित्रों का सहयोग

मेष - इस सप्ताह कारोबार में तेजी आएगी। किसी के सहयोग से कोई वांछित कार्य होगा। धन लाभ होगा। संतान पक्ष कष्ट देगा। वाहन सुख उत्तम है। परिजनों का व्यवहार व सहयोग उत्तम रहेगा। शत्रु सिर उठाएंगे किंतु हावी नहीं हो सकेंगे। कोई शुभ कार्य भी घर में होगा।

वृषभ - किसी कार्य के न हो पाने से खिन्नता रहेगी किंतु शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का व्यवहार सामान्य रहेगा। प्रेम संबंध संतोषजनक रहेंगे। आय अच्छी होगी। बेवजह अधिक व्यय करने से बचें। संतान पक्ष धनात्मक रहेगा। कार्य क्षेत्र में संतोष रहेगा।

मिथुन - इस सप्ताह आपके जीवनसाथी का व्यवहार एवं स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। प्रेम संबंध खूब फले-फूलेंगे। वाहन आवश्यक सावधानी से चलावें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान पक्ष कुछ कष्ट देगा। मित्रों का सहयोग अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कर्क - इस सप्ताह बेवजह के विवादों से बचें। कोर्ट कचहरी में भी गवाही आदि देने से बचें। शारीरिक स्वास्थ्य अमूमन अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति के सहयोग से कोई कार्य अवश्य बनेगा। कारोबार अच्छा चलेगा। आवक अच्छी होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। शत्रु परास्त होंगे।

सिंह - कारोबार की दृष्टि से यहां सप्ताह श्रेष्ठ है। आवक में वृद्धि होगी। कई दिनों से लंबित कार्य होगा। व्यय कम होने से बचत होगी। संतान पक्ष से कुछ कष्ट हो सकता है। जीवनसाथी का स्वास्थ्य और व्यवहार मध्यम रहेगा। रोमांस के लिए यह समय मध्यम है। माता को कष्ट होगा।

कन्या - स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक नहीं है। अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में धनात्मकता दिखाई देगी। संतान संबंधित चिंता दूर होगी। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग उत्तम रहेगा।

तुला - मान प्रतिष्ठा एवं कारोबार की दृष्टि से यह समय उत्तम है। अचानक किसी कार्य के संपन्न होने के योग हैं। संतान पक्ष कुछ कष्ट दे सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंध मध्यम रहेंगे। वाहन सुख उत्तम है। कोई विवाद हल होगा।

वृश्चिक - शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। मानसिक तनाव कम होंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जीवनसाथी को कष्ट हो सकता है। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। संतान पक्ष धनात्मक रहेगा। आय अच्छी होगी। कारोबार धनात्मक रहेगा।

धनु - इस सप्ताह शत्रु सिर उठा सकते हैं अतः सावधान रहें। किसी लेनदेन में न फंसे। वाहन सुख उत्तम है। दूरस्थ यात्राओं को टालें। कारोबार अच्छा चलेगा। आय भी अच्छी होगी। संतान पक्ष धनात्मक है। अन्य कोई समस्या का निदान होगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

मकर - जीवनसाथी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में सावधानी रखें। स्वयं का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी विवाद के हल होने के योग हैं। रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। वाहन में टूट-फूट संभव है। भूमि संबंधी कोई निर्णय न लें। पिता का सहयोग मिलेगा।

कुंभ - इस सप्ताह अचानक किसी यात्रा का योग है। वाहन सुख है। कारोबार मध्यम रहेगा। किसी से विवाद भी हो सकता है। संतान को कष्ट संभव है। जीवनसाथी का सुख व स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रु परास्त होंगे। मित्रों का सहयोग उत्तम। बेवजह के खर्चों से बचें। माता को अल्प कष्ट।

मीन - इस सप्ताह स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी को उधार देने से बचें। कार्य क्षेत्र में धनात्मकता दिखाई देगी। आवक अच्छी होगी। संतान पक्ष पीड़ित कर सकता है जीवनसाथी का सहयोग एवं व्यवहार उत्तम रहेगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे। वाहन में टूट फूट हो सकती है। व्यय अधिक होंगे।

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ **सूर्य** - कर्क राशि में 17 से सिंह राशि में ■ **चंद्रमा** - वृश्चिक से धुन राशि में ■ **मंगल** - वृषभ राशि में ■ **बुध** - सिंह राशि में ■ **गुरु** - वृषभ राशि में ■ **शुक्र** - सिंह राशि में ■ **शनि** - कुंभ राशि में वक्री ■ **राहु** - मीन राशि में ■ **केतु** - कन्या राशि में

राऊ ब्रिज का लोड टेस्ट पूरा, 18 ट्रकों के वजन से परखी ब्रिज की क्षमता

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर-खलघाट फोरलेन पर बना राऊ ब्रिज का लोड टेस्ट पूरा हो चुका है। 18 ट्रकों को ब्रिज के मध्य हिस्से में दो दिनों तक खड़े रख कर ब्रिज का वजह वहन करने की क्षमता को परखा गया। दो दिन हुई बारिश के कारण लोड टेस्ट का काम प्रभावित हुआ, लेकिन सोमवार को वह पूरा हो गया।

ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोले जाने के लिए एक माह का समय लग सकता है। इस ब्रिज से भारी वाहन गुजरेंगे, इस कारण लोड टेस्ट जरुरी था। ब्रिज को बनने में दो साल से ज्यादा का समय लगा,क्योकि इसके लिए इंदौर को नर्मदा जल पहुंचाने वाली नर्मदा लाइन को शिफ्ट करना पड़ा था और ब्रिज की डिजाइन भी उसके हिसाब से तैयार की गई। इस ब्रिज के निर्माण की प्लानिंग दस साल पहले गई थी, लेकिन तब नर्मदा लाइन के कारण ही प्रोजेक्ट टल गया था, लेकिन राऊ जंक्शन से इंदौर की तरफभी काफी ट्रैफिक आता है और अक्सर जाम लग रहा था। इस कारण यहां ब्रिज बनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राऊ सर्कल पर छह लेन चौड़ा ब्रिज बनाया गया है। यह प्रदेश का पहला सिंगल पिलर ब्रिज है।

सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट बन चुका था

राऊ जंक्शन ब्रिज नहीं होने के कारण सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट बन चुका था। वहां आसपास रहवासी क्षेत्र भी है और भारी वाहनों का आवागमन भी होता था। दस माह में इस जंक्शन पर दस मौतें हो चुकी है।

आखिर भार्गव को ही दिया टिकट

भाजपा के द्वारा रविवार के दिन अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। इस सूची में भाजपा की ओर से बुधनी विधानसभा क्षेत्र से भार्गव को ही टिकट दिया गया है। भाजपा की अंदरूनी राजनीति में भार्गव को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। पिछले मर्तबा इस संसदीय सीट से भार्गव सांसद थे। इस बार पार्टी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। इस कारण से भार्गव का टिकट काट दिया गया था। इस समय पार्टी की ओर से भार्गव को यह आश्वासन दिया गया था कि शिवराज सिंह की विधानसभा सीट पर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। पार्टी के द्वारा अपने इस आश्वासन की पूर्ति की गई है। भाजपा ने अपना आश्वासन निभा लिया और भार्गव ने पार्टी की घोषणा के पहले ही सभी को यह बता दिया था कि प्रत्याशी तो वही बनने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि भाजपा के राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा बुधनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी के चयन के लिए तीन प्रत्याशी दावेदारों के नाम का पैनल बनाया गया था।

कभी किसी दल को बहुमत नहीं

24 साल में 13 सरकार सात चेहरों के इर्द-गिर्द घूमती रही झारखंड की सत्ता

झारखंड में दो चरण में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 13 और 20 नवंबर को झारखंड के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तमाम पार्टियां चुनावी परीक्षा में जाने से पहले अपने चेहरों को चुनने के लिए मंथन कर रही हैं। दिल्ली से लेकर झारखंड तक बैठकों को दौर जारी है। फिलहाल, एनडीए के दल भाजपा और आजसू तो दूसरी ओर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। झारखंड ने बीते पांच साल में दो व्यक्तियों को तीन बार मुख्यमंत्री बनते देखा है। साल 2000 में झारखंड के गठन के बाद यहां भाजपा या झामुमो के नेतृत्व में ज्यादातर सरकारें बनी हैं। 24 साल में 13 अलग-अलग सरकारें बन चुकी हैं। इन सरकारों का नेतृत्व सात अलग-अलग व्यक्तियों ने किया है। झारखंड में बीते विधानसभा चुनावों का हाल कैसा रहा है? कब किस दल या गठबंधन को बहुमत मिला? इस दौरान किस दल के खाते में कितने प्रतिशत वोट आए? पिछले चुनाव में क्या हुआ था? 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में कितनी बदली? आइये जानते हैं...

पहले जानते हैं कि झारखंड में पहली सरकार कैसे बनी थी?

लंबे समय तक बिहार का हिस्सा रहा झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना। साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम के जरिए झारखंड का निर्माण किया था। उस वर्ष की शुरुआत में बिहार में हुए चुनाव के आधार पर झारखंड की पहली विधानसभा के गठन का आधार बना। इन चुनावों के आधार पर भाजपा ने सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य में पहली सरकार बनाई। 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

मुख्यमंत्री बनने से पहले मरांडी दूसरी और तीसरी वाजपेयी सरकार में पर्यावरण और वन राज्य मंत्री रह चुके थे। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा उपचुनाव जीता। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल ढाई साल तक चला। मरांडी की जगह उनके मंत्रिमंडल में भाजपा के एक मंत्री अर्जुन मुंडा आए, जो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने। मुंडा 2005 में पहली विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक मुख्यमंत्री बने रहे। अर्जुन मुंडा तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

झारखंड के पहले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था?

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 2005 में राज्य में पहली बार चुनाव हुए। जब नतीजे सामने आए तो सत्ताधारी भाजपा और उसका गठबंधन 41 सीटों के जादुई आंकड़ों से पिछड़ गया। भारतीय जनता पार्टी को 23.57 प्रतिशत मत के साथ सबसे ज्यादा 30 सीटें आईं। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17 सीटें और 14.29 प्रतिशत मत हासिल किए। नौ सीटें जीतकर कांग्रेस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसे 12.05त्न वोट मिले। अन्य दलों की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के सात, जदयू के छह और आजसू के दो उम्मीदवार जीते। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य दलों के कुल 10 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे।

इस तरह से झारखंड की जनता ने किसी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। झामुमो के नेता शिबू सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन आवश्यक संख्या नहीं जुटा सके। इसलिए सीएम के रूप में शपथ लेने के 10 दिन के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया और मार्च 2005 में दूसरी बार सीएम बने।

राजनीतिक अनिश्चितता के चलते बदले कई सीएम

हालांकि, अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार केवल डेढ़ साल तक ही चल पाई। गठबंधन के टूटने के कारण सितंबर 2006 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जेएमएम के समर्थन वाली एक और गठबंधन सरकार ने राज्य की सत्ता संभाली। झारखंड में पहली बार सरकार का नेतृत्व एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा ने किया। कोड़ा जब सीएम बने तब उनकी उम्र करीब 35 साल थी। कोड़ा सरकार को झामुमो और अन्य दलों का समर्थन हासिल था। करीब दो साल बाद झामुमो ने समर्थन वापस ले लिया और मधु कोड़ा की सरकार गिर गई। इसके बाद झामुमो के नेता शिबू सोरेन अगस्त 2008 में दूसरी बार सीएम बने। सोरेन जब सीएम बने, तो वे लोकसभा सांसद थे। सीएम बने रहने के लिए शिबू सोरेन को उपचुनाव लड़ना पड़ा। जनवरी 2009 में सोरेन उपचुनाव हार गए, जिसके चलते उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। दिसंबर 2009 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहा, जब झारखंड में दूसरी बार चुनाव हुए।

दूसरे चुनाव के बाद भी कई बार सरकारें बनीं और गिरीं

2009 में राज्य में दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुए। जब नतीजे सामने आए तो कोई भी दल 41 सीटों के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाया। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 20.18 प्रतिशत मत के साथ 18 सीटें आईं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 18 सीटें मिलीं लेकिन इसने 15.20 प्रतिशत मत हासिल किए। 14 सीटें जीतकर कांग्रेस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसे 16.16 प्रतिशत वोट मिले। बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के 11 विधायक चुनकर आए और इसे 8.99 प्रतिशत मत मिले।

अन्य दलों की बात करें तो राजद और आजसू के पांच-पांच और जदयू के दो उम्मीदवार जीते। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य दलों के कुल आठ प्रत्याशी चुनाव जीते।

खंडित जनादेश के कुछ महीनों बाद झामुमो, भाजपा ने अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया। सोरेन का तीसरा कार्यकाल करीब पांच महीने (दिसंबर 2009-मई 2010) तक चला और भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया।

कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद सितंबर 2010 में भाजपा के अर्जुन मुंडा तीसरी बार सीएम बने। लेकिन अर्जुन मुंडा सरकार का तीसरा कार्यकाल जनवरी 2013 में ही समाप्त हो गया। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन सीएम बने। झामुमो-कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार डेढ़ साल तक चली।

हजारों प्लाट धारकों को प्राधिकरण का दीपावली गिफ्ट

योजना क्रमांक 171 की जमीन को योजना से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू

अब प्राधिकरण जारी करेगा एनओसी , 13 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के हजारों सदस्यों को भी मिलेगा फायदा

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा दीपावली के पहले ही आज हजारों नागरिकों को दीपावली का गिफ्ट दे दिया गया। प्राधिकरण के द्वारा अपनी योजना क्रमांक 171 में समाविष्ट की गई जमीन को मुक्त करने और जमीन मालिकों के नाम पर एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण के इस फैसले से 13 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की जमीन भी मुक्त होगी, जिससे इन संस्थाओं के हजारों सदस्यों को फायदा मिल सकेगा।

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा पिछले काफी समय से योजना क्रमांक 171 को समाप्त करने और इस योजना में शामिल जमीनों को योजना से मुक्त करने की प्रक्रिया को चलाया जा रहा था। इस योजना में शामिल जमीन में अपने घर का सपना देखने वाले नागरिक प्राधिकरण की इस प्रक्रिया के पूरा होने और अपने सपने के सरकार होने के समय का इंतजार कर रहे थे। इन नागरिकों को आज प्राधिकरण के द्वारा दीपावली का गिफ्ट दे दिया गया। प्राधिकरण की ओर से योजना क्रमांक 171 में समाविष्ट 151 हेक्टेयर जमीन को योजना से मुक्त करने और जमीन मालिकों के नाम पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस योजना को समाप्त करने की अनुमति मिलने के बाद आज प्राधिकरण के

द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। इस सूचना के माध्यम से जमीन मालिकों के नाम और इस योजना में समाविष्ट उनकी जमीन का रकबा घोषित किया गया है। इन जमीन मालिकों को 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से अपनी जमीन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में शुल्क भी चुकाना होगा। इस योजना में कुल 13 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं और 211 नागरिकों की जमीने समाविष्ट की गई थी।

इन गृह निर्माण संस्थाओं की जमीन हुई मुक्त

प्राधिकरण के द्वारा लिए गए इस फैसले के परिणाम स्वरुप देवी अहिल्या श्रमिक कामगार, मजदूर पंचायत, न्याय विभाग कर्मचारी, इंदौर विकास, लक्ष्मण नगर सूर्या, मारुति, सन्नी, रजत, संजना, श्री कृपा और अप्सरा गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की जमीन योजना से मुक्त हो गई है।

दीपावली पर अटाला कपड़ों का जखीरा

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

निगम को यह अटाला उठाने के लिए जेसीबी डंपर लगाना पड़े

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली जब आता है तब हर घर में साफ सफाई का अभियान चलता है। इस अभियान के अंतर्गत घर में पड़े हुए सारे अनुपयोगी सामान को निकाल कर फेंक दिया जाता है। इस साल दीपावली के मौके पर शहर से नागरिकों के द्वारा बड़ी संख्या में चुने पुराने और फटे हुए कपड़े फेंक दिए गए हैं। अटाले के रूप में यह कपड़े कितनी बड़ी संख्या में निकाल कर सामने आए हैं इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर नगर निगम को इस अटाले को उठाने के लिए जेसीबी और डंपर लगाना पड़ रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण से एक महीने पहले घरों में चल रहे स्वच्छता के अभियान में निकला यह अटाला नगर निगम को भारी पड़ रहा है। नगर निगम के द्वारा इसमें से उपयोग के लायक कपड़ों को साफ करवा कर प्रेस करवा कर गरीबों को वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य शहर भर में बनाए गए 22 आर आर आर सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। जिन कपड़ों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और जो किसी भी तरह से फिर से उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं ऐसे कपड़ों को ट्रेंचिंग ग्राउंड पर नेप्रा के द्वारा संचालित किए जाने वाले एमआरएफ सेंटर पर नष्ट करने के लिए दिया जा रहा है।

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- दीपक गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।